न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

भानाराम बनाम केशर देवी

दावा — मु.नं. — 86/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16-2-2022	वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के पत्रांक 149/भू.अ./2022 दिनांक 18-01-2022 के द्वारा प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 12-03-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
12-3-2022	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादीगण व पक्षकारान अनुपस्थित। राष्ट्रीय लोक अदालत में वकील वादीगण व पक्षकारान के हाजिर अदालत नहीं आने पर निस्तारण नहीं किया जा सका। पत्रावली दिनांक 30-03-2022 को पेश हो। PO साहब खाटूश्यामजी मेले में पधारे हुये है।	
30.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से वकील प्रतिवादीगण के सहमत होने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 149/भू.अ./2022 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा ट्रेस को डिक्री का भाग मानते हुए निर्णय के अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.04.01 17:22:10 IST Reason: SelfAttested 30/03/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला– सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
86/2019	2019/232	28.08.2019	30.03.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान

1. कानाराम पुत्र श्री भूराराम आयु 68 वर्ष
2. चन्द्राराम पुत्र श्री भूराराम आयु 66 वर्ष
3. बनवारी लाल पुत्र श्री भूराराम आयु 48 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी खातोद्यावाली तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती कैशर देवी पुत्री भंवरलाल आयु 40 वर्ष पत्नि प्रहलाद जाति अहीर निवासी ढ़ाणी भैरूसागर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी हणूतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
2. कानाराम पुत्र भंवरलाल आयु 42 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी भैरूसागर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. ग्यारसी लाल पुत्र रूघनाथ आयु 42 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी भैरूसागर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. श्रीमती पतासी देवी पुत्री श्री भॅवरलाल पत्नि प्रभात आयु 40 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी भैरूसागर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासी हणुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
5. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि भंवरलाल आयु 70 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी भैरूसागर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

20/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

6. बन्ना दत्तक पुत्र भूरा आयु 60 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी भैरूसागर तन् लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
7. श्रीमती भागोती देवी पत्नि रूघनाथ आयु 65 वर्ष
8. राजेन्द्र पुत्र श्री रूघनाथ आयु 30 वर्ष
9. रामकिशोर पुत्र रूघनाथ आयु 32 वर्ष
10. सुरेश पुत्र श्री रूघनाथ आयु 20 वर्ष
11. सीताराम पुत्र श्री भंवरलाल आयु 52 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी भैरूसागर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
13. शाखा प्रबन्धक बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लिसाड़िया
14. शाखा प्रबन्धक बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दिवराला

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री कमल कुमार शर्मा प्रथम वादीगण अभिभाषक।
श्री रिछपाल बाजिया, प्रतिवादी नं. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 12

वादपत्र बंटवारा, घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ... की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 302 ... ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादी नम्बर 1 के नाम से राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिकार्ड में दर्ज है एंव भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 0.75 हैक्टर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादी नम्बर 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एंव भूमि खसरा नम्बर 286, 288, 289 कुल किता 3 कुल रकबा 2.60 हैक्टर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के बहिस्सा बराबर–बराबर 1/3– 1/3 दर्ज है एंव भूमि खसरा नम्बर 267 से 269, 287 कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 हैक्टर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसके 1/24– 1/24 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 1 व 2 के नाम व 13/24 हिस्से की खातेदारी वादी संख्या 3 के नाम व शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण आपस में सगे भाई है। वादीगण के पिता के जीवनकाल में ही पैत्रक संयुक्त हिन्दू कोष से खरीदी गई थी। जो वरवक्त विक्रय लेख में अकेले वादी संख्या 1 के नाम व वादी सं. 2 के नाम अकेले के विक्रय लेख के समय नाम दर्ज किया गया था परन्तु उक्त भूमियॉ वादीगण के पिता द्वारा ही अपने पैत्रक संयुक्त हिन्दू कोष से खरीदी जाकर उक्त भूमियों में वादीगण का प्रत्येक का बराबर–बराबर हिस्सा वरवक्त क्रय किये जाने के दिन से ही रहा है। वादीगण अपने पिता के समय से ही मय परिवार शांतिपूर्व क रूप से काबिज काश्त रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त भूमियों का बंटवारा अर्सा करीब 20–25 वर्ष पूर्व ही कर लिया गया है। जिस बंटवारें के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 302 में से 0.3570 हैक्टर उत्तरी पश्चिमी तरफ का वादी संख्या 3 के हक हिस्से व बंटवारें में एंव 0.5730 हैक्टर दक्षिणी पश्चिमी तरफ का वादी संख्या 2 के हक हिस्से एंव बंटवारें में आया हुआ है। इसी अनुसार भूमि खसरा नम्बर 300 में से रकबा 0.43 हैक्टर पश्चिमी तरफ का वादी संख्या 3 के हक हिस्से एंव बंटवारें में आई हुई है तथा रकबा 0.32 हैक्टर पूर्वी तरफ का वादी नम्बर 2 के हक हिस्से एंव बंटवारें में आया है तथा भूमि खसरा नम्बर 286 में से [illegible] उत्तरी तरफ का व खसरा नम्बर 302 रकबा 0.04 हैक्टर उत्तरी पूर्वी [illegible] के हक हिस्से एंव बंटवारें में है व खसरा नम्बर 302 का 0.01 हैक्टर दक्षिणी पूर्वी तरफ का तथा खसरा नम्बर 286 में से 0.32 हैक्टर दक्षिणी तरफ का वादी संख्या 3 के हक हिस्से एंव बंटवारें

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

10/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

या हुआ है तथा भूमि खसरा नम्बर 289 में से 1.3980 हैक्टर पश्चिमी तरफ का सं. 1 के हक हिस्से में व रकबा 0.4880 हैक्टर पूर्वी तरफ का वादी सं. 3 के हक में आया हुआ है व रकबा 0.0120 हैक्टर कुवें से पश्चिमी तरफ रास्ता वादी संख्या 3 का है व रहेगा व कुवें से पूर्वी तरफ 0.0070 हैक्टर वादीगण का शामलाती रास्ता था खसरा नम्बर 288 का 2/3 हिस्सा वादी सं. 3 के हक हिस्से में एंव हिस्सा 3 वादी सं. 1 के हिस्से में आया हुआ है। इसी अनुसार भूमि खसरा नम्बर 267 रकबा 750 हैक्टर पश्चिमी तरफ का व खसरा नम्बर 289 में से 0.07500 हैक्टर पूर्वी तरफ वादी सं. 1 के हक हिस्से में तथा खसरा नम्बर 267 में से रकबा 0.2950 हैक्टर पूर्वी रफ का वादी सं. 2 के हक हिस्से में आया हुआ है व रकबा 0.02 हैक्टर दक्षिणी तरफ का वादी संख्या 1 व 3 के हिस्से में आया हुआ है जिसमें पुख्ता मकान बना हुआ है। खसरा नम्बर 287 में से रकबा 0.0790 हैक्टर दक्षिणी तरफ का वादी संख्या 2 के व रकबा 0.0240 हैक्टर वादीगण का शामलाती रास्ता व रकबा 0.0130 हैक्टर उत्तरी पूर्वी वादी सं. 2 के व रकबा 0.03 हैक्टर उत्तरी व पश्चिमी वादी संख्या 1 व 3 के हक हिस्से में रहेगा व खसरा नम्बर 287 में से रकबा 0.004 हैक्टर पश्चिमी दक्षिणी वादी सं. 3 के हक हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार पक्षकारान् मौके पर अलग–अलग सींव नींव कायम कर बंटवारा अनुसार अर्सा 20–25 वर्षो से तन्हा रूप से निर्बाध काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने मौखिक बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 268 जो रासता है जो सभी पक्षकारान् के शामलाती है व रहेगा व खसरा नम्बर 269 प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के नाम दर्ज रहेगा। उक्तानुसार वादीगण के नाम अलग–अलग खातेदारी दर्ज कराने के वादीगण पूर्णतया अधिकारी हो चुके है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को पूर्व बंटवारा अनुसार खातेदारी दर्ज कराने हेतु पूर्व में कहां तो हां करते रहे और टालते रहे परन्तु वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20.07.2019 को बंटवारा बाबत कहा तो आनाकानी की मंशा रखने हेतु मना करने लगे जिस कारण मजबूर होकर वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त बाह्मी बंटवारे के अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को सख्त हकतलफी है तथा वादीगण सरकारी सुविधाओ से महरूम हो रहे है। इसलिये बंटवारा के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। प्रतिवादीगण, वादीगण को उनकी बंटवारे के अनुसार आयी भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेंदखल कर देगे या वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग–उपभोग मे मजाहमत पैदा करेगें तो वादीगण बर्बाद हो जावेगे जिससे वादीगण को अकथनीय क्षति होगी तथा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिये न्यायहित मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होने से उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमियो का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड तकास्मा करवाने के लिये कंहा तो वे पहले तो आश्वासन देते रहे कि उक्तानुसार तकास्मा करवा देगें, परन्तु अब दिनांक 20.07.2019 को बिल्कुल इन्कार कर दिया और वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे कब्जे काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिये माननीय न्यायालय हाजा में वाद करना आवश्यक हुआ है।

वकील वादीगण ने दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है कि:– तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 0.98 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 0.75 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 286, 288, 289 कुल किता 3 कुल रकबा 2.60 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 267 से 269, 287 कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 हैक्टर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का बंटवारा किया जाकर भूमि खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 302 में से 0.3570 हैक्टर उत्तरी–पश्चिमी तरफ का वाद। संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व खसरा नम्बर 302 में से रकबा 0.5730 हैक्टर दक्षिणी–पश्चिमी तरफ का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एंव भूमि खसरा नम्बर 300 में से रकबा 0.43 हैक्टर पश्चिमी तरफ का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा खसरा नम्बर 300 में से रकबा 0.32 हैक्टर पूर्वी तरफ का वादी संख्या नम्बर 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 286 व 287 हैक्टर उत्तरी तरफ का व खसरा नम्बर 302 रकबा 0.04 हैक्टर उत्तरी–पूर्वी तरफ का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व खसरा नम्बर 302 का 0.01 हैक्टर दक्षिणी–पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तरफ का तथा खसरा नम्बर 286 में से 0.32 हैक्टर दक्षिणी तरफ का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 289 में से 1.3980 हैक्टर पश्चिमी तरफ का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व खसरा नम्बरन 289 में से रकबा 0.4880 हैक्टर पूर्वी तरफ का वादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व खसरा नम्बर 289 में से रकबा 0.0120 हैक्टर कुवें से पश्चिमी तरफ रास्ता वादी संख्या 1 व 3 का व कुवें से पूर्वी तरफ 0.07 हैक्टर वादीगण का शामलाती रास्ता घोषित किये जाने तथा खसरा नम्बर 288 का 2/3 हिस्सा वादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व हिस्सा 1/3 वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 267 रकबा 0.1750 हैक्टर पश्चिमी तरफ का व खसरा नम्बर 289 में से 0.075 हैक्टर पूर्वी तरफ का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा खसरा नम्बर 267 में से रकबा 0.2950 हैक्टर पूर्वी तरफ का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा रकबा 0.02 हैक्टर दक्षिणी तरफ का वादी संख्या 1 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व खसरा नम्बर 287 में से रकबा 0.0790 हैक्टर दक्षिणी तरफ का वादी संख्या 2 को रकबा 0.0240 हैक्टर वादीगण का शामलाती रास्ता व रकबा 0.0130 हैक्टर उत्तरी–पूर्वी वादी सं. 2 को व रकबा 0.03 हैक्टर उत्तरी–पश्चिमी वादीगण संख्या 1 व 3 को व खसरा नम्बर 287 में से रकबा 0.004 हैक्टर पश्चिमी–दक्षिणी तरफ का वादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा खसरा नम्बर 268 मौके पर रास्ता है जो सभी पक्षकारान् के नाम यथावत रहने तथा खसरा नम्बर 269 में वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 के नाम दर्ज किया जाकर इसी अनुसार प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया जाकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने तथा प्रत्येक पक्षकार का अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा उक्त भूमि को रहन मुक्त किया जाकर पक्षकारान का रहन उनके हिस्से में आयी हुयी भूमि पर [illegible] जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

10/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 5, 6, 9, 11 लगायत 15 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 7, 8 व 10 की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एडवोकेट उपस्थित आयें एंव प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने में कोई एतराज नहीं होना लिखित में अवगत कराये जाने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.11.2021 को जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 3712/रीडर/2021 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 149/भू.अ./2022 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामें हो जाने तथा अन्य पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गई।

हमनें वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 कुल चार जमाबन्दियों में वर्णित विवरणानुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण रिकॉर्ड सह खातेदार है। इस आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का अपने काश्त अनुसार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण एंव वकील प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के प्रारम्भिक डिकी की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा, घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के मध्य हुए राजीनामा अनुसार तथा भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 18.01.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रविष्टी

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम	खसरा न.	रकबा (हैक्टे.में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	कानाराम पुत्र भूराराम अहीर	267/1	0.1750	बारानी–3	
2	चन्द्राराम पुत्र भूराराम अहीर	267/2	0.2950	बारानी–3	
3	कानाराम, बनवारी पुत्र भूराराम	267/3	0.0200	बारानी–3	
4	जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर	268	0.1100	बारानी–3	
5	केशरी, पतासी पुत्रीयाँ भँवरलाल, कानाराम, सीताराम पिता भँवरलाल, प्रभाती पत्नि भँवरलाल हि.ब.1/3, ग्यारसीलाल, राजेन्द्र, रामकिशोर, सुरेष पिता रूघनाथ, भागोती पत्नी रूघनाथ हि.1/3, बन्नाराम दत्तक पुत्र भूरा हि01/3 जाति अहीर सा. देह खातेदार	269	0.5100	बारानी–3	
6	बनवारी पुत्र भूराराम अहीर	287/5	0.0040	बारानी–3	
7	चन्द्राराम पुत्र भूराराम अहीर	287/2 287/4	0.0130 0.0790	बारानी–3	
8	कानाराम, बनवारी पिता भूराराम अहीर	287/1	0.0300	बारानी–3	
9	कानाराम, बनवारी, चन्दाराम पि. भूराराम अहीर	287/3 रास्ता	0.0240	बारानी–3	
10	बनवारी पुत्र भूराराम अहीर	286/2	0.3200	बारानी–2	
11	चन्द्राराम पुत्र भूराराम अहीर	286/1	0.2700	बारानी–2	
12	कानाराम पुत्र भूराराम हि0 1/3, बनवारी पुत्र भूराराम हि0 2/3 अहीर	288 कुंआ	0.0300	बंजड़–1	
13	कानाराम पुत्र भूराराम अहीर	289/1 289/3	1.3980 0.0750	बंजड़–1 बंजड़–1	
14	बनवारी पुत्र भूराराम अहीर	289/6 289/5 289/2	0.1480 0.0700 0.2700	बंजड़–1 बंजड़–1 बंजड़–1	
15	कानाराम, बनवारी पिता भूराराम अहीर	289/7 रास्ता	0.0120	बंजड़–1	
16	कानाराम, बनवारी, चन्दाराम पिता भूराराम अहीर	[illegible] रास्ता	[illegible]	बंजड़–1	
17	बनवारी पुत्र भूराराम अहीर	[illegible] 302/4	[illegible] [illegible]	बारानी–2 बारानी–2	
18	चन्दाराम पुत्र भूराराम अहीर	302/3 302/2	[illegible]5730 0.0400	बारानी–2 बारानी–2	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

30/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

19	बनवारी पुत्र भूराराम अहीर	300/1	0.4300	बारानी–3	
20	चन्दाराम पुत्र भूराराम अहीर	300/2	0.3200	बारानी–3	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो को बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक मू.अ./2022/149 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम मिसल का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/03/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

20/03/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)